UFDC

Destination Uttarakhand

"Where Nature Meets Cinematic Magic"

उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024

हिन्दी

English

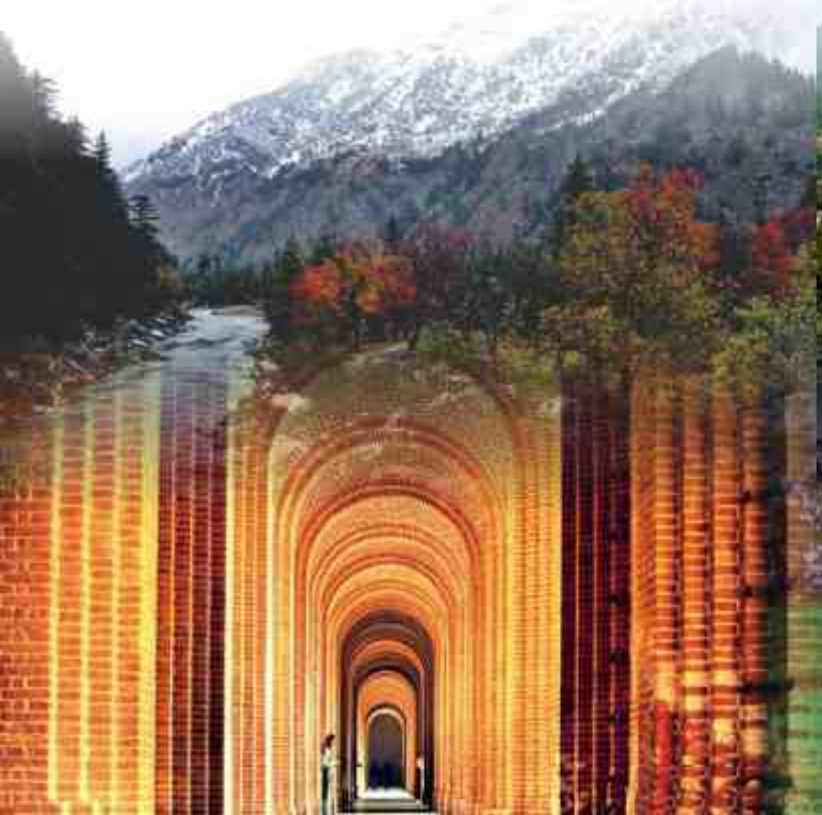

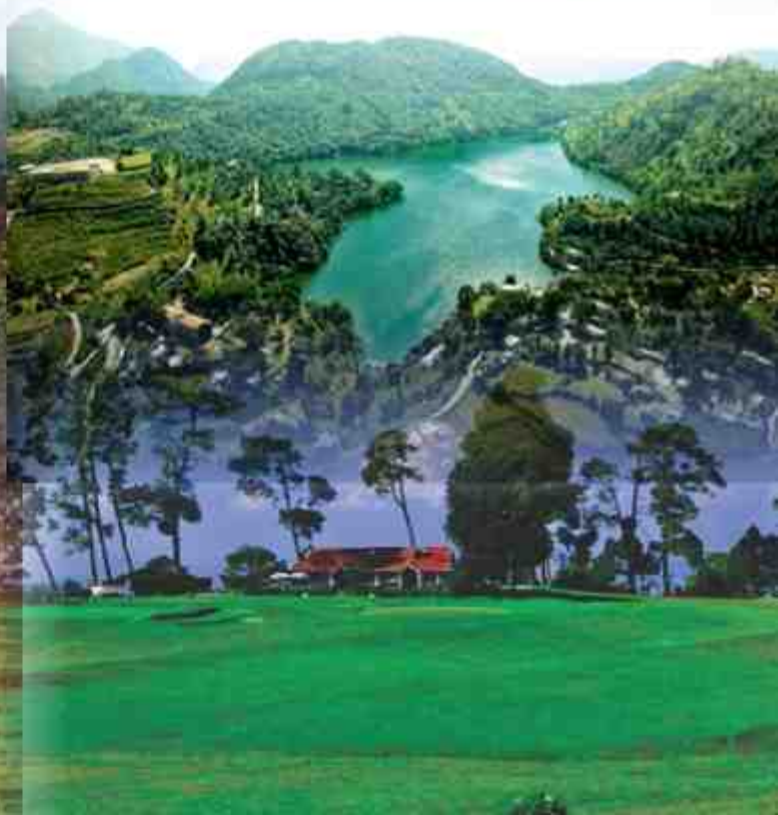

संदेश

उत्तराखण्ड राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। हमारे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थल इसे फिल्मों की शूटिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, हरे-भरे वन क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल, उत्तराखण्ड में विविधता से भरपूर लोकेशंस राज्य में फिल्म निर्माण के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। प्रदेश में शूटिंग के लिए कई नए शूटिंग डेस्टिनेशन भी विकसित हुए हैं। अब प्रदेश में अच्छी कनेक्टिविटी तथा आवास की बेहतर व्यवस्थायें उपलब्ध है।

प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 को लागू किया है। उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 के तहत, हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम ₹ 3 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में गढ़वाली, कुमाउँनी और जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहन मिले इसलिये इन भाषाओं की फिल्मों के लिए सब्सिडी के विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे स्थानीय भाषाओं में भी गुणवत्तापूर्ण फिल्मों का निर्माण हो सके। प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए यह अनुदान राशि प्रदेश में व्यय के आधार पर 50% तक या अधिकतम ₹ 2 करोड़ तक प्रदान की जा रही है।

हमारी फिल्म नीति में विदेशी फिल्मों और ₹ 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों के लिए भी प्रदेश में व्यय राशि का 30% या अधिकतम ₹ 3 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ओटीटी रिलीज और वेब सीरीज़ को भी इस नीति में शामिल कर सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश में फिल्म निर्माण का इकोसिस्टम सशक्त होगा और अधिक से अधिक निर्माता और निर्देशक यहां की ओर आकर्षित होंगे। फिल्म निर्माताओं के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति प्रदान की जा रही है, इससे अनुमति की प्रक्रिया आसान और त्वरित हो गई है।

फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इस नई नीति के तहत, हम '**3टी**' यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए एक संपूर्ण इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो न केवल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी विशेष अवसर प्रदान करेगा। फ़िल्म नीति और नयी सेवा क्षेत्र नीति के अंतर्गत फिल्म एवं मीडिया प्रोत्साहन के लिए फ़िल्म सिटी, फ़िल्म संस्थानों, नये शूटिंग स्टूडियो, नये पोस्ट प्रोडक्शन हाउस, नये सिनेमाघरों की स्थापना को सम्मिलित किया गया है।

राज्य सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े हर क्षेत्र में सहयोग करने और इसे और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरेगा और यहां की खूबसूरती और विविधता को विश्व मंच पर प्रदर्शित करेगा।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024

राज्यपाल, प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्त्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए वर्तमान में उत्तराखण्ड फिल्म निति 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) को पूर्णत: अधिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम एवं परिचय

इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024" है।

2. प्रस्तावना

"उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024" सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन गठित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC) द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इस नीति में उत्तराखण्ड राज्य में देश-विदेश से फिल्म निर्माता/निर्देशकों को शूटिंग हेतु आकर्षित करने, फिल्म उद्योग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के साधन सृजित करने, क्षेत्रीय फिल्म जगत को मजबूती प्रदान करने एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, फिल्मों को अनुदान, फिल्म पुरस्कार-सम्मान, उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाली फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) जैसे विषयों का समावेश किया गया है।

3. उद्देश्य

3(1) उत्तराखण्ड में फिल्मों तथा फिल्म उद्योग के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजित करना और उनका संवर्धन करना

3(2) फिल्म उद्योग के माध्यम से उत्तराखण्ड में अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित करना।

3(3) नये शूटिंग स्थलों तथा फिल्म शूटिंग हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को फिल्म शूटिंग हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।

3(4) उत्तराखण्ड के कलाकारों को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, इस दिशा में प्रोत्साहित करना।

3(5) उत्तराखण्ड के युवाओं हेतु फिल्म निर्माण/ऑडियो वीडियो कंटेंट के क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु संबंधित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करना।

3(6) फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातत्व धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ-साथ इनका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

3(7) पर्वतीय क्षेत्रों में नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स एवं मोबाइल थिएटर की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3(8) उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म सिटी, फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3(9) उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड में फिल्माई गई क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना।

3(10) विदेशी, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों को उत्तराखण्ड राज्य में शूटिंग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समुचित अनुदान प्रदान करना।

3(11) उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय बोली और स्थानीय/क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकारों एवं फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित अनुदान प्रदान करना।

3(12) फिल्म पाठ्यक्रम के राज्य के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

3(13) फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म शूटिंग एवं नए शूटिंग डेस्टिनेशन को चिन्हित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

नैनी झील, नैनीताल

एफ.आर.आई, देहरादून

4. परिभाषाएं

4(1) 'फिल्म' की परिभाषा वही होगी, जो चलचित्र अधिनियम, 1952 में दी गयी है।

4(2) 'परिषद' से 'उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद' (UFDC) से अभिप्रेत है।

4(3) 'सरकार' से 'उत्तराखण्ड सरकार' से अभिप्रेत है।

4(4) 'कार्यकारी मण्डल' से 'फिल्म विकास परिषद का कार्यकारी मण्डल' से अभिप्रेत है।

4(5) पोस्ट प्रोडक्शन से फिल्म की शूटिंग उपरांत फिल्म में की जाने वाली वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, SFX कलर करेक्शन, ग्रेडिंग, DI, VFX, डबिंग, मास्टरिंग और फिल्म के फाइनल आउटपुट फाइल आदि से अभिप्रेत है।

4(6) 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' से सशुल्क सदस्यता एवं सब्स्क्राइबरशिप के आधार पर फीचर फिल्म, वेब सीरीज एवं अन्य ऑडियो वीडियो कंटेंट इत्यादि का इंटरनेट के माध्यम से टीवी, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, टेबलेट (multiple device availability) इत्यादि पर स्ट्रीमिंग के प्लेटफार्म से अभिप्रेत है। इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' का निर्धारण परिषद द्वारा समय समय पर किया जायेगा। उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं के 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' के चयन में प्लेटफार्म का निर्धारण समय समय पर परिषद द्वारा अनुमन्य किया जायेगा।

ऋषिकेश

4(7) 'वेब सीरीज़' से किसी धारावाहिक की एक श्रृंखला का ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारण करना अभिप्रेत है। टीवी सीरियल्स से राष्ट्रीय स्तर के ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों की श्रृंखला अभिप्रेत है।

4(8) 'सिनेमाघर' से वह स्थान जहां नियमित रूप से सिनेमा दिखाया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(9) 'मल्टीप्लेक्स' से वह स्थान जहां एक ही स्थान पर एक से अधिक फिल्म स्क्रीन हो, तथा नियमित रूप से सिनेमा दिखाया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(10) 'मोबाइल थिएटर' से तात्पर्य वह वाहन जिसमें/जिसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर सिनेमा दिखाया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(11) 'फिल्म एवं ऑडियो वीडियो कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण संस्थान' से वह स्थान या संस्थान जहां फिल्म एवं टेलिविजन से संबंधित विषयों/कंटेंट निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(12) हिन्दी एवं अन्य भाषाओं से भारत का संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा अभिप्रेत है।

4(13) 'उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली' से उत्तराखण्ड राज्य में बोली जाने क्षेत्रीय बोलियां अभिप्रेत है। फिल्म निर्माण की इस नीति के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड की फिल्मों में बोली गई अनुमन्य क्षेत्रीय भाषाओं का निर्धारण समय समय पर परिषद द्वारा किया जायेगा।

4(14) 'महानिदेशक' से विभागाध्यक्ष सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद अभिप्रेत है।

4(15) फीचर फिल्म से 70मिनट या अधिक समयावधि की फिल्म अभिप्रेत है (फिल्म क्रेडिट सहित)

4(16) लघु फिल्म से 30 मिनट तक की अधिकतम समयावधि की फिल्म अभिप्रेत है। (फिल्म क्रेडिट सहित)

4(17) डाक्यूमेंट्री फिल्म से एक गैर काल्पनिक (नॉन फिक्शन) फिल्म से है, जिसका उद्देश्य वास्तविक घटनाओं/ परिस्थितियों का दस्तावेजीकरण करना है तथा यह मुख्य रूप से पर्यावरण, शैक्षिक, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण अथवा निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, अभिप्रेत है। डाक्यूमेंट्री की समय सीमा न्यूनतम 20 मिनट (क्रेडिट सहित) और लघु डाक्यूमेंट्री की समय सीमा अधिकतम 15 मिनट(क्रेडिट सहित) होगी।

4(18) वीडियो ब्लॉग से तात्पर्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाला ऑडियो वीडियो कंटेंट, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड के पर्यटन, संस्कृति को प्रोत्साहन मिले अभिप्रेत है।

4(19) कंटेंट से ऑडियो वीडियो फिल्म, गीत संगीत, गेमिंग इत्यादि अभिप्रेत है।

5. फिल्म उद्योग हेतु अवस्थापना विकास

5.(क) प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक या एक से अधिक राजकीय एवं निजी फिल्म सिटी की स्थापना पर कार्य किया जायेगा। इस दिशा में औद्योगिक विकास विभाग की सुसंगत नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का भी समुचित उपयोग प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.(ख) उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, मोबाइल थिएटर, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में फिल्म उद्योग को मजबूत करना है। फिल्म उद्योग को मजबूती प्रदान करने हेतु निम्नानुसार अनुदान/वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी	वित्तीय सहायता/अनुदान	पात्रता
5. (1) नये सिनेमाघर एवं नये मल्टीप्लेक्स।	(क) पर्वतीय क्षेत्रों के नये सिनेमाघर एवं नये मल्टीप्लेक्स में प्रयोग होने वाले सिनेमा सम्बंधित उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25 लाख तक, जो भी कम हो।	1. पात्र पर्वतीय क्षेत्रों का चयन, क्षेत्र की परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 2. वित्तीय सहयोग की धनराशि, संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 3. अनुदान की धनराशि नये सिनेमाघर के पूर्ण होने पर दी जायेगी। 4. अनुदान के लिए सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स में प्रयुक्त होने वाले क्रय उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन उनकी प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 5. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 6. यह अनुदान प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 7. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 8. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय,कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

श्रेणी	वित्तीय सहायता/अनुदान	पात्रता
5.(2) नये मोबाइल थिएटर।	(क) पर्वतीय क्षेत्रों में नयेमोबाईल थियेटर वाहन के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25 लाख तक, जो भी कम हो।	1. पात्र पर्वतीय क्षेत्रों का चयन क्षेत्र की परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 2. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 3. अनुदान की धनराशि नये मोबाइल थिएटर क्रय करने पर दी जायेगी। 4. अनुदान के लिए मोबाइल थिएटर में प्रयुक्त वाहन, स्क्रीन व् अन्य उपकरणों के लिए अनुमन्य मानकों का निर्धारण समय-समय पर परिषद द्वारा किया जायेगा। 5. मोबाइल थिएटर वाहन क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 6. यह अनुदान प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 7. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 8. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु, किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

हेमकुण्ड साहिब

HIMSHRRI
FILMS
KAPHAL

श्रेणी	वित्तीय सहायता/अनुदान	पात्रता
5.(3) पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हेतु वित्तीय अनुदान।	(क) नये पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25 लाख तक, जो भी कम हो।	1. अनुदान के लिए प्रयुक्त उपकरणों का आंकलन उनकी प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 2. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 3. यह अनुदान की धनराशि नये पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के पूर्ण होने पर दी जायेगी। 4. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 5. यह अनुदान प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 7. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे। 8. यह अनुदान देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों को प्रतिवर्ष 2-2 स्टूडियो तथा अन्य जनपदों में प्रतिवर्ष 1-1 स्टूडियो के लिये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

5.(4) फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान

नये फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु, उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडीज़ की स्थापना करते हुए फिल्म एवं कंटेंट शिक्षा पर पाठ्यक्रम प्रोत्साहित किए जायेंगे। प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर पाठ्यक्रम डिजाइन किए जायेंगे। पाठ्यक्रम में आने वाले समय में फिल्म उद्योग की मांग के अनुरूप हो और सिनेमा के विविध आयामों को समावेशित करने वाला हो, इस पर विशेष जोर दिया जायेगा। जिससे स्थानीय युवाओं व कलाकारों की दक्षता में वृद्धि होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य में फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों, कंटेंट क्रिएशन एवं फिल्म उद्योग के जुड़े पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

श्रेणी	वित्तीय सहायता/अनुदान	पात्रता
5.(5)A) नये फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु वित्तीय अनुदान।	(क) नये फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान में स्टूडियो निर्माण तथा प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय हेतु 25 प्रतिशत तक या ₹ 50 लाख तक, जो भी कम हो।	1. फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा वैध डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री देने हेतु अधिकृत होना चाहिए। 2. जिसमें फिल्म एवं कंटेंट निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे फिल्म डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीनप्ले, डायलॉग राइटिंग, फिल्म प्रोडक्शन, एक्टिंग, मेकअप, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एवं साउंड इंजीनियरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन (ऑडियो/वीडियो एडिटिंग, एनीमेशन, VFX, ग्रेडिंग, DI, डबिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग) व फिल्म एवं कंटेंट निर्माण में संचालित होने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों के पाठ्यक्रम आदि सम्मिलित होने चाहिए। 3. अनुदान प्रदान करने के उपरांत संस्थान को तीन वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य होगा। इस आशय का शपथ पत्र विभाग में जमा कराना होगा। 4. अनुदान के लिए क्रय किये गए उपकरणों का आंकलन उनकी प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा। 5. यह अनुदान नये संस्थान के पूर्ण होने पर परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 7. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय सम्पूर्ण व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

6. फिल्मों को अनुदान

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा राज्य में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने व स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, राज्य की आय में वृद्धि तथा स्थानीय फिल्मों एवं कलाकारों को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत प्रोत्साहन स्वरूप फिल्मों को अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
6. (1) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियां।	(क) फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या ₹ 2 करोड़ तक, जो भी कम हो तक की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) बाल फिल्मों के लिए अनुमन्य अनुदान राशि की अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। (ग) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा फिल्म का 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य में की गई शूटिंग का होना चाहिए। 2. फिल्म की शूटिंग में न्यूनतम 4K रेजूलेशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 3. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 5 सिनेमा स्क्रीन में होना आवश्यक है। (OTT पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. फिल्म को अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 8. परिषद द्वारा अनुमोदित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/ कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
		9. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रमोशन (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा,परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
6.(2) हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा की फिल्में।	(क) फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30% या ₹ 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) बाल फिल्मों के लिए अनुमन्य अनुदान राशि की अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। (ग) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा। (घ) जिन फिल्म निर्माताओं द्वारा, परिषद द्वारा निर्धारित राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के नये शूटिंग	1. फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा फिल्म का 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य में की गई शूटिंग का होना चाहिए। 2. फिल्म की शूटिंग में न्यूनतम 4K रेजुलेशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 3. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 50 सिनेमा स्क्रीन में एक सप्ताह तक होना आवश्यक है। (OTT पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण-पत्र

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
	लोकेशंस में कम से कम 7 दिन फिल्म की शूटिंग की जायेगी, ऐसे फिल्म निर्माता को अन्य सभी सुसंगत शर्तों के अनुपालन के उपरांत अनुमन्य अनुदान का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (ङ) नए शूटिंग लोकेशंस का चयन परिषद द्वारा पर्यटन विभाग की सलाह से किया जायेगा। (च) फिल्म में उत्तराखण्ड के लोकेशंस के वास्तविक नाम प्रयोग करने पर अनुमन्य अनुदान का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (छ) हिन्दी एवं अन्य भाषा की भारतीय फिल्मों में पांच मुख्य अभिनेताओं/अभिनेत्रियों में से उत्तराखण्ड के एक स्थायी निवासी एक या उससे अधिक अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों को मुख्य अभिनय हेतु शामिल किया जाता है, तो उस अभिनेता/ अभिनेत्री को सम्मिलित रूप से किये गए वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा। (ज) हिन्दी एवं अन्य भाषा की भारतीय फिल्मों के निर्माण में पांच मुख्य श्रेणियों 1. सिनेमेटोग्राफी 2. आर्ट डायरेक्शन	अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. फिल्म को अनुदान, फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 8. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/ कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 9. उत्तराखण्ड के कलाकार/तकनीशियन होने की दशा में स्थाई निवास प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। 10. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। 11. अनुदान के लिए राज्य में शूट हुई फिल्मों पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रमोशन (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 12. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 13. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
	3. साउंड डायरेक्शन/इंजीनियरिंग, 4. म्यूजिक डायरेक्शन 5. एडिटिंग में उन तकनीशियनों को शामिल किया जाता है, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों तो, अधिकतम पांच तकनीशियनों को सम्मिलित रूप से किये गये वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा।	
6.(3) राज्य में शूट की जाने वाली 50 करोड़ या उससे अधिक के बजट की फिल्में।	(क) राज्य में शूट की जाने वाली वह फिल्में जिन का बजट 50 करोड़ या इससे अधिक हो, तथा जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशंस को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो, उन फिल्मों को राज्य में किये गए व्यय का 30% या 3 करोड़ तक जो भी कम हो तक की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. फिल्म की शूटिंग में न्यूनतम 4K रेजुलेशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 2. फिल्म शूटिंग हेतु केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) का प्रमाण पत्र। 3. परिषद द्वारा निर्गत शूटिंग अनुमति पत्र। 4. विदेशी फिल्म की शूटिंग हेतु भारत सरकार से अनुमति पत्र अपेक्षित होगा। 5. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 50 सिनेमा स्क्रीन में एक सप्ताह तक होना आवश्यक है। (OTT पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण-पत्र अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. फिल्म का अनुदान, फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
		8. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/ कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 9. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रमोशन (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
6.(4) विदेशी भाषा की फिल्में।	(क) राज्य में शूट की जाने वाली विदेशी भाषा की फिल्में जिन्होंने न्यूनतम ₹ 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशंस को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो। राज्य में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत या 3 करोड़ तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है।	1. भारत सरकार से निर्गत शूटिंग का यथोचित अनुमति पत्र। 2. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 3. उत्तराखण्ड में फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 4. फिल्म की शूटिंग में न्यूनतम 4K रेजुलेशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 5. उन्हीं फिल्मों को अनुदान हेतु पात्र समझा जायेगा, जो संबंधित देश या अन्य देशों में 50 से अधिक सिनेमा

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
	(ख) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा। (ग) फिल्म में उत्तराखण्ड के लोकेशंस के वास्तविक नाम प्रयोग करने पर अनुमन्य अनुदान का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	स्क्रीन में प्रदर्शित हुई हो अथवा संबंधित देश के OTT प्लेटफार्म पर फिल्म प्रदर्शित हुई है। तद्नुसार ही अनुदान की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा। 6. अनुदान के लिए विदेशी भाषाओं की फिल्मों की रिलीज हेतु परिषद द्वारा समय-समय पर मानक निर्धारित किये जा सकेंगे। 7. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होगी। 8. फिल्म का अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 9. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रमोशन (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के बजट के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
6.(5) टीवी सीरियल/ वेब सीरीज को अनुदान। हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में निर्माण अनुमन्य होगा।	(क) टीवी सीरियल/वेब सीरीज की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) बाल टीवी सीरियल/ वेब सीरीज के लिए अनुमन्य अनुदान राशि की अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। (ग) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा। (घ) टीवी सीरियल/वेब सीरीज में पांच मुख्य अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों में से, उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी एक या उससे अधिक अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों को मुख्य अभिनय हेतु शामिल किया जाता है, तो उस अभिनेता/ अभिनेत्री को सम्मिलित रूप से किये गए वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा। (ङ) यदि टीवी सीरियल/वेब सीरीज के निर्माण में मुख्य श्रेणियों	1. वेब सीरीज में न्यूनतम 5 एपिसोड (प्रत्येक एपिसोड न्यूनतम 30 मिनट) होने आवश्यक है। 2. टीवी सीरियल में न्यूनतम 20 एपिसोड (प्रत्येक एपिसोड न्यूनतम 22 मिनट) होने आवश्यक है। 3. वेब सीरीज अथवा टीवी सीरियल की कुल लम्बाई का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य का अवश्य होना चाहिए। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. टीवी सीरियल/वेब सीरीज के प्रसारण के लिए सम्बंधित प्लेटफॉर्म/चैनल द्वारा प्रसारण का प्रमाण पत्र। 6. टीवी सीरियल/वेब सीरीज की शूटिंग न्यूनतम 4K रेजुलेशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता प्रसारित प्लेटफॉर्म के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। 7. वेब सीरीज का प्रसारण परिषद द्वारा अधिसूचित OTT प्लेटफार्म पर होना आवश्यक है। वेब सीरीज के सभी एपिसोड का प्रसारण होने/रिलीज होने के उपरांत ही आवेदन कर सकेंगे 8. टीवी सीरियल के सभी एपिसोड का प्रसारण ऐसे चैनल पर होना चाहिए जो किसी भी 3 राष्ट्रीय स्तर के डीटीएच पर हो। टीवी सीरियल के कुल एपिसोड के 50% का प्रसारण हो जाने के उपरांत ही अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकेगा। 9. टीवी सीरियल/वेब सीरीज की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 10. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
	1. सिनेमेटोग्राफी 2. आर्ट डायरेक्शन 3. साउंड डायरेक्शन/ इंजीनियरिंग, 4. म्यूजिक डायरेक्शन 5. एडिटिंग में उन तकनीशियनों को शामिल किया जाता है, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों तो, अधिकतम पांच तकनीशियनों को सम्मिलित रूप से किये गये वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा। (च) जिन फिल्म निर्माताओं द्वारा, परिषद द्वारा निर्धारित राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के नये शूटिंग लोकेशंस में कम से कम 7 दिन टीवी सिरियल/वेब सीरीज की शूटिंग की जायेगी, ऐसे फिल्म निर्माता को अनुमन्य अनुदान का 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। नए शूटिंग लोकेशंस का चयन परिषद द्वारा पर्यटन विभाग की सलाह से किया जायेगा। (छ) उत्तराखण्ड की लोकेशंस का वास्तविक नाम प्रयोग करने पर अनुमन्य अनुदान का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	11. उत्तराखण्ड के कलाकार/तकनीशियन होने की दशा में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। 12. अनुदान के लिए राज्य में हुए टीवी सीरियल/ वेब सीरीज प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। टीवी सीरियल/वेब सीरीज निर्माण पश्चात टीवी सीरियल/वेब सीरीज पर हुए मार्केटिंग, प्रमोशन (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 13. अनुदान के लिए सम्पूर्ण टीवी सीरियल/ वेब सीरीज व्यय के बजट के सापेक्ष, वेब सीरीज व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 14. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे। 15. टीवी सीरियल/ वेब सीरीज के लिए कर सकते हैं, अनुदान निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
6.(6) डाक्यूमेंट्री के लिए अनुदान	(क) उत्तराखण्ड में शूट की गई डॉक्यूमेंट्री के लिये राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या ₹ 15 लाख तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डाक्यूमेंट्री की शूटिंग भारत में होती है, और उसका 50 प्रतिशत शूट उत्तराखण्ड राज्य में हुआ है या पूरी फिल्म का 50 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड की लोकेशंस की शूटिंग का होने पर राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 15 लाख तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ग) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जावेगा।	1. डाक्यूमेंट्री का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा फिल्म का 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य का होना आवश्यक है। 2. डाक्यूमेंट्री का शूटिंग 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता प्रसारित प्लेटफॉर्म, चैनल्स के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। 3. सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. प्रसारित प्लेटफॉर्म/महोत्सव का प्रमाणित अनुबंध पत्र आवश्यक है। 5. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 6. डाक्यूमेंट्री की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 7. डॉक्यूमेंट्री, किसी भी एक राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म द्वारा पुरस्कृत की गई हो। जिसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे। 8. अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 9. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित डाक्यूमेंट्री भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफॉर्म के साथ सम्पादित अनुबंध-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। 11. अनुदान के लिए राज्य में हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। डॉक्यूमेंट्री निर्माण पश्चात डाक्यूमेंट्री पर हुए मार्केटिंग, प्रमोशन

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
		(प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 12. अनुदान के लिए सम्पूर्ण डाक्यूमेंट्री व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 13. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय डॉक्यूमेंट्री निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे। 14. अनुदान निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा।
6. (7) लघु फिल्म हेतु अनुदान	(क) लघु फिल्म (हिंदी, अन्य भारतीय भाषा व उत्तराखण्डी क्षेत्रीय बोली) को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 5 लाख तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. लघुफिल्म का 100 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है। 2 लघुफिल्म की शूटिंग में न्यूनतम 4K रेजुलेशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 3. सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. लघुफिल्म की अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. लघु फिल्म किसी भी एक राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर, प्रतिष्ठित संस्थान, परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म द्वारा पुरस्कृत की गई हो। जिसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे। 7. लघुफिल्म का अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
		8. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। 9. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित लघु फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए लघुफिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। लघुफिल्म निर्माण पश्चात लघुफिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. लघु फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय लघु फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे। 13. अनुदान निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा।

हर की पैड़ी, हरिद्वार

7. उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार

परिषद द्वारा समय समय पर फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। फिल्म महोत्सव किसी ख्याति प्राप्त संस्था के साथ भी आयोजित किया जा सकता है। फिल्म महोत्सव में राज्य सरकार द्वारा फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा सर्वोत्तम हिन्दी तथा अन्य भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों, जिसकी शूटिंग उत्तराखण्ड में की गई हो, के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों, उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग से संबंधित प्रचार-प्रसार पत्रकारिता के माध्यम से किया गया हो, किसी लाइन प्रोड्यूसर ने अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड में कराई हो, को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राज्य फिल्म पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। फिल्म पुरस्कार हेतु प्रतिवर्ष दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर, के बीच प्रदर्शित हिन्दी तथा अन्य भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों/डाक्यूमेंट्री फिल्मों पर विचार किया जायेगा। पुरस्कारों का चयन परिषद में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

7.(1) ब्रांड एंबेसडर

राज्य में फिल्म संस्कृति और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने तथा राज्य की छवि निर्माण के उद्देश्य से परिषद द्वारा ब्रांड एंबेसडर के रूप में भारतीय फिल्म जगत से अथवा किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी को नामित/चयनित किया जा सकता है। अध्यक्ष परिषद द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के लिये मानदेय और अन्य सुविधाओं के लिए परिषद के कोष से विवेकानुसार आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जा सकता है।

7.(2) परिषद् द्वारा आवश्यकता पड़ने पर राज्य की योजनाओं, पर्यटन स्थलों, एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं पर परिषद् द्वारा गठित समिति के अनुमोदनोपरांत प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं अथवा फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के अनुरोध एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आधार पर व्यावसायिक दरों पर फिल्म निर्मित कराई जा सकती हैं।

प्रस्ताव के परिक्षण हेतु निम्नानुसार समिति होगी।

1. CEO फिल्म विकास परिषद्
2. अपर निदेशक/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. CEO द्वारा नामित फिल्म उद्योग से विशेषज्ञ
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी
5. नोडल अधिकारी

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद्, (मा. मुख्यमंत्री) द्वारा प्रदान की जाएगी।

7.(3) सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली विज्ञापन फिल्मों में किसी प्रसिद्ध सिने कलाकार, सेलिब्रिटी को भूमिका देने हेतु पारिश्रमिक अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद्, (मा. मुख्यमंत्री) की अनुमति से नियत किया जा सकता है। जिसका भुगतान परिषद् के द्वारा किया जायेगा।

7. (4) हिन्दी एवं अन्य भाषा की फिल्म हेतु पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	सर्वोत्तम फिल्म	2,00,000
2	सर्वोत्तम निर्देशक	1,50,000
3	सर्वोत्तम अभिनेता	1,00,000
4	सर्वोत्तम अभिनेत्री	1,00,000
5	सर्वोत्तम पटकथा लेखक	1,00,000
6	सर्वोत्तम गायक	1,00,000
7	सर्वोत्तम सहायक अभिनेता	1,00,000
8	सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री	1,00,000
9	सर्वोत्तम सिनेमेटोग्राफर	1,00,000

7. (5) क्षेत्रीय बोली की फिल्म हेतु पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	सर्वोत्तम फिल्म	2,00,000
2	सर्वोत्तम निर्देशक	1,50,000
3	सर्वोत्तम अभिनेता	1,00,000
4	सर्वोत्तम अभिनेत्री	1,00,000
5	सर्वोत्तम पटकथा लेखक	1,00,000
6	सर्वोत्तम गायक	1,00,000
7	सर्वोत्तम सहायक अभिनेता	1,00,000
8	सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री	1,00,000
9	सर्वोत्तम सिनेमेटोग्राफर	1,00,000
10	सर्वोत्तम एलबम गायक	1,00,000

7. (6) अन्य पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	लाइफटाइम अचीवमेंट फिल्म पुरस्कार (फिल्म क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)	2,00,000
2	सर्वोत्तम लाइन प्रोड्यूसर (जो परिषद में पंजीकृत हो)	1,00,000
4	सर्वोत्तम डॉक्यूमेंट्री निर्माता (जो डॉक्यूमेंट्री किसी राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुरस्कृत की गई हो)	1,00,000
5	सर्वोत्तम लघु फिल्म पुरस्कार राज्य में फिल्मांकित सर्वोत्तम 3 लघु फिल्म पुरस्कार (जो किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुरस्कृत की गई हो)	प्रथम 1,50,000 द्वितीय 1,00,000 तृतीय 50,000
6	सर्वोत्तम वीलॉग, ट्रैवलॉग निर्माता (3 सर्वाधिक व्यूज (मोस्टव्यूड) मनोरम लोकेशन (डेस्टिनेशंस) और राज्य के स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता Youtube / Facebook / Instagram या समकक्ष प्लेटफार्म पर प्रसारित वीलॉग, ट्रैवलॉग वीडियो।)	1,00,000
7	सर्वोत्तम म्यूज़िक वीडियो पुरस्कार (परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म पर 3 सर्वाधिक व्यूज (मोस्ट व्यूड) मनोरम लोकेशन (डेस्टिनेशंस) और राज्य के स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता Youtube / Facebook / Instagram या समकक्ष प्लेटफार्म पर प्रसारित वीडियो।)	प्रथम 1,00,000 द्वितीय 75,000 तृतीय 50,000

7.(7) उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त अध्यक्ष परिषद द्वारा अधिकतम ₹ 10 लाख तक के अन्य पुरस्कार समय समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

7.(8) राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरस्कार संस्थानों में पुरस्कृत फिल्मों को परिषद द्वारा समय-समय पर अधिकतम 30 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। पुरस्कार की धनराशि CEO परिषद् के अनुमोदनोपरान्त ही निर्धारित किया जायेगा।

8. उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार के चयन हेतु समिति का गठन

8. (1) (क) उपाध्यक्ष, परिषद – अध्यक्ष

(ख) महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद् – पदेन सदस्य

(ग) फिल्म विकास परिषद में नामित 03 सदस्य (गैर सरकारी) – सदस्य

8.(2) परिषद में उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य नामित न होने की दशा में महानिदेशक की अध्यक्षता में पुरस्कार हेतु चयन समिति गठित की जायेगी। समिति में परिषद द्वारा 03 गैर सरकारी सदस्य जो फिल्म विधा से संबंधित हो, सम्मिलित किये जायेंगे, जिनका नामांकन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोंपरांत किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के प्रसारण हेतु सहयोग

9.(1) राज्य में स्थापित सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स स्वामियों को अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों को सेंसर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह तक प्रतिदिन व्यावसायिक नियम व् शर्तों पर न्यूनतम एक शो अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। यदि प्रथम सप्ताह शो की दर्शक संख्या 75 प्रतिशत से अधिक रहती है तो शो की अवधि एक सप्ताह और बढ़ायी जा सकती है।

9.(2) राज्य सरकार के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका/विभागीय ऑडिटोरियम/नगर पंचायत आदि में निर्माता क्षेत्रीय बोली की फिल्मों का प्रदर्शन कर सकेंगे तथा कुल विक्रय किये गये टिकटों की 10 प्रतिशत धनराशि संबंधित विभाग को भुगतान करनी होगी।

9.(3) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों का प्रसारण उत्तराखण्ड के दूरदर्शन चैनल तथा अन्य किसी भी चैनल पर प्रसारित किये जाने हेतु चैनल (एक बार के प्रसारण हेतु) द्वारा लिये जाने वाले शो का 20 प्रतिशत अथवा ₹ 5 लाख तक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म निर्माता को की जायेगी।

चकराता

10. फिल्म महोत्सव एवं फिल्म सोसाइटीज़ हेतु वित्तीय सहयोग

10.(1) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सव में या ऐसे किसी कार्यक्रम में जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड में फिल्मों को प्रोत्साहन मिले, परिषद द्वारा प्रतिभाग करने पर प्रायोजन (sponsorship) की एक निश्चित धनराशि का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य की फिल्म/डॉक्यूमेंट्री/लघु फिल्म के स्क्रीनिंग हेतु चयन होने पर आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

10.(2) राज्य में फिल्म संस्कृति और फिल्म समुदाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा समय-समय पर राज्य में पंजीकृत फिल्म सोसाइटीज़ को प्रोत्साहित किया जायेगा। फिल्म सोसाइटीज़ द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों का परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन होना आवश्यक है। फिल्म सोसाइटीज़ को वर्ष में अधिकतम ₹ 5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती है। अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण परिषद् द्वारा गतिविधियों के आंकलन के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद् के अनुमोदनोपरांत ही किया जायेगा।

11. फिल्म शूटिंग हेतु आवासीय सुविधा

गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों, तथा सूचना विभाग द्वारा अधिसूचित होटलों में फिल्म की शूटिंग अवधि में फिल्म यूनिट को आवासीय सुविधा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित अतिथिगृहों, होटलों को परिषद द्वारा की जायेगी।

12. छात्रवृत्ति

फिल्म एण्ड टेलीविजन संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र तथा सत्यजीत-रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता या अन्य ख्याति प्राप्त संस्थान (जिनका निर्धारण परिषद द्वारा किया गया हो)में प्रवेश लेने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम पर हुए व्यय का, एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. को 75 प्रतिशत एवं सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। मेरिट के आधार पर प्रतिवर्ष कुल अधिकतम प्रथम 05 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

13. फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाना

अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद् (मा. मुख्यमंत्री) राज्य में प्रदर्शित होने वाली किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री कर सकते हैं। टैक्स फ्री फिल्मों के SGST की प्रतिपूर्ति आयुक्त कर की संतुति पर परिषद् द्वारा सीधे सिनेमाघरों को की जाएगी।

14. फिल्म निर्माताओं के लिए रेकी हेतु अनुदान

14.(1) राज्य में शूटिंग हेतु फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म निर्माताओं द्वारा की जाने वाली लोकेशन रेकी के लिए परिषद द्वारा अधिसूचित नए लोकेशंस पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों, तथा सूचना विभाग द्वारा अधिसूचित होटलों के आवासीय सुविधा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म निर्माताओं को परिषद द्वारा की जायेगी। लोकेशन रेकी के दौरान राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का 30 प्रतिशत या ₹ 5 लाख तक जो भी कम हो तक का अनुदान दिया जायेगा। नए शूटिंग डेस्टिनेशन का चयन परिषद द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग की सलाह से किया जायेगा। अनुदान के लिए इच्छुक फिल्म निर्माताओं को रेकी से पूर्व आवेदन कर परीषद की अनुमति लेनी होगी।

14(2) रेकी के लिए अनुदान के लिए राज्य में किये गए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि नीतिगत माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में नकद व्यय कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

14(3) राज्य में शूटिंग लोकेशंस और स्थानीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समय समय पर प्रतिष्ठित ट्रेवलोगर, ब्लॉगर को आमंत्रित कर निर्धारित लोकेशंस के बारे में वीडियो फिल्म/ट्रवलोग/वीडियो ब्लॉग आदि निर्मित कराकर जागरूकता पैदा की जाएगी। जिनको आमंत्रित किया जायेगा उन ट्रेवलोगर, ब्लॉगर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स का होना आवश्यक है। इस विषय में परिषद् द्वारा समय-समय पर अन्य मानक भी बनाये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में ट्रेवलॉगर, ब्लॉगर द्वारा उनकी शूटिंग (अधिकतम 5 दिन) के दौरान गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों, तथा सूचना विभाग द्वारा अधिसूचित होटलों के आवासीय सुविधा में शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म निर्माताओं को परिषद द्वारा प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद की जायेगी। (आवासीय सुविधा की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है।)

15. फिल्मों की शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम

उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने तथा फिल्म निर्माता-निर्देशकों को शूटिंग की अनुमति सरलता से मिल सके, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कार्य किया जायेगा।

15.(1) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जिसमें सभी संबंधित विभाग ऑनलाइन संस्तुति परिषद को अधिकतम एक सप्ताह में प्रेषित करेंगे। तदोपरांत परिषद द्वारा अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर शूटिंग की ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जायेगी।

15.(2) फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति पत्र परिषद के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जारी किया जायेगा। उक्त शूटिंग अनुमति पत्र सभी सार्वजनिक स्थलों पर फिल्म शूटिंग हेतु मान्य होगा।

15.(3) उत्तराखण्ड में शूटिंग होने वाली फिल्मों के लिये राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा।

15.(4) वन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित शूटिंग शुल्क को पूर्णतया समाप्त समझा जायेगा। किन्तु राजाजी नेशनल पार्क एवं कार्बेट नेशनल पार्क के लिए निर्धारित दरों पर शूटिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

15.(5) शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से कोई पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो, तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका भुगतान संबंधित को किया जायेगा।

15.(6) फिल्मों की शूटिंग अवधि में पुलिस विभाग के संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से कम से कम 5 पुलिस कर्मी फिल्म निर्माता के अनुरोध पर शूटिंग अवधि तक नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे अधिक संख्या में पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

15.(7) वन विभाग एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो CEO/नोडल अधिकारी, परिषद द्वारा संदर्भित शूटिंग प्रकरणों पर एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित सहमति/असहमति प्रदान करेंगे।

15.(8) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद अनुमति पत्र देते समय सम्यक प्रतिबन्धों, शर्तों तथा चेतावनियों को जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। फिल्म निर्माता द्वारा शूटिंग अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम दो सप्ताह के भीतर निर्माता को अनुमति देने अथवा अनुमति नहीं देने की सूचना दी जायेगी।

15.(9) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी परिषद द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे, जो कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

16. शूटिंग लोकेशन फिल्म डायरेक्ट्री

राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु आने वाले फिल्म निर्माता-निर्देशकों की सुविधा हेतु एक फिल्म डायरेक्ट्री तैयार की जायेगी। उक्त फिल्म डायरेक्ट्री में राज्य के फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, कोरियोग्राफर, गीतकार, कहानीकार, लेखक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, तकनीशियन, स्पॉट बॉय, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो स्वामी तथा उत्तराखण्ड के शूटिंग डेस्टिनेशन/लोकेशन आदि का विवरण संकलित किया जायेगा।

17. लाइन प्रोडयूसर का पंजीकरण

उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माता-निर्देशकों से समन्वय व शूटिंग करने हेतु लाइन प्रोडयूसर का पंजीकरण किया जायेगा। उत्तराखण्ड में शूट की जाने वाली फिल्मों के लिए फिल्म विकास परिषद में पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिशा में परिषद द्वारा समय समय पर उचित दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

17.(1) लाइन प्रोडयूसर के रूप में कम से कम 3 वर्षों से उत्तराखण्ड में कार्य करने के अनुभव का प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17.(2) लाइन प्रोडयूसर की फर्म उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो। एक पंजीकृत फर्म से अधिकतम 3 सदस्यों को लाइन प्रोडयूसर के रूप में परिषद में पंजीकृत किया जायेगा।

17.(3) लाइन प्रोडयूसर के पंजीकरण के समय अन्य आवश्यक मानक समय-समय पर परिषद द्वारा तय किये जायेंगे।

17.(4) परिषद में पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर को परिषद द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा।

17.(5) पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर का आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रित को ₹ 2 लाख तक की धनराशि की सहायता प्रदान की जायेगी।

17.(6) विभाग में पंजीकृत लाइन प्रोड्यूसर के संबंध में शूटिंग से संबंधित यदि कोई शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो उसको उत्तराखण्ड राज्य में 5 वर्षों तक के लिए प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

देवप्रयाग

18. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)

राज्य में फिल्म नीति को लागू करने और फिल्म नीति से सम्बंधित सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन/अनुश्रवण के लिए उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् का गठन किया जायेगा, जिसका नाम ''उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)'' होगा। जो कि राज्य में फिल्म विकास से सम्बंधित नीतिगत निर्णयों एवं परामर्श के लिए कार्य करेगी। परिषद में अधिकतम 15 सदस्य होंगे। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)'' का स्वरूप निम्नानुसार होगा।

1	मा. मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष	01
2	क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा बोली की फिल्म/कला/संस्कृति क्षेत्र के विशेषज्ञ	पदेन उपाध्यक्ष	01
3	उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/गीतकार/संगीतकार/निर्देशक/निर्माता एवं फिल्म जगत से संबंधित विषय विशेषज्ञ (नामित)	पदेन सदस्य	03
4	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य	01
5	पुलिस महानिदेशक, पुलिस	पदेन सदस्य	01
6	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग	पदेन सदस्य	01
7	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य	01
8	मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	पदेन सदस्य	01
9	आयुक्त राज्य कर	पदेन सदस्य	01
10	महानिदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)/सूचना	पदेन सदस्य सचिव	01
11	निदेशक, संस्कृति	पदेन सदस्य	01
12	निदेशक/अपर निदेशक, सूचना	सदस्य	01
13	नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)/ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन संयोजक	01

18.(1) परिषद में उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार मा. मुख्यमंत्री/सूचना मंत्री को होगा। परिषद के उपाध्यक्ष तथा नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। फिल्म विकास परिषद एक स्थाई संस्था होगी और अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

18.(2) परिषद में नियुक्त उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

18.(3) गैर सरकारी सदस्यों को परिषद की बैठक के दिवस को निर्धारित मानदेय, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो level15 (G-P10000) के समतुल्य होगा।

18.(4) ''फिल्म विकास परिषद में नामित उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी नियुक्ति समाप्त किये जाने का निर्णय अध्यक्ष (मा. मुख्यमंत्री) द्वारा लिया जा सकता है।

19. परिषद के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारी मण्डल होगा

19.(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - पदेन महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

19.(2) कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी - पदेन निदेशक/अपर निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

19.(3) सचिव, कार्यकारी मण्डल - पदेन नोडल अधिकारी

19.(4) वित्त परामर्शी- पदेन वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

19.(5) कार्यकारी मण्डल परिषद के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा।

19.(6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इस नीति में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रबंधकीय कार्यों का संपादन करेंगे।

19.(7) परिषद के कार्य संचालन हेतु प्रथम श्रेणी के विभागीय अधिकारियों से एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। (उपनिदेशक, उप मुख्य कार्याधिकारी, संयुक्त निदेशक, संयुक्त मुख्य कार्याधिकारी पदनाम व्यवहृत होंगे। इन्हे अलग से कोई वेतन भत्ता स्वीकृत नहीं होगा।)

20. परिषद में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

20.(1) फिल्मों के अनुदान सहित परिषद के समस्त कार्यों पर होने वाला व्यय सूचना विभाग एवं परिषद को प्राप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट के सुसंगत मद से वहन किया जायेगा।

20.(2) अनुदान संबधी प्रकरणों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय समिति की संस्तुति के बाद मा. मुख्यमंत्री/मा. अध्यक्ष के अनुमोदन पर धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

20. (3) अनुदान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों में जब तक की अलग से उल्लेखित न हो ₹ 50 लाख तक की धनराशि के कार्यों की स्वीकृति एवं आहरण का अधिकार महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होगा, जबकि ₹ 50 लाख से अधिक की धनराशि के संबंध में मा. मुख्यमंत्री/मा. अध्यक्ष की संस्तुति/ अनुमोदन के पश्चात् आहरण किया जा सकेगा।

20.(4) परिषद द्वारा परिषद के कार्यों के निष्पादन के लिये PMU का गठन कर आउट सोर्स नियुक्तियां की जा सकती हैं।

21. अनुदान हेतु समितियों का गठन

21.(1) अनुदान हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा।

(क) उपाध्यक्ष, परिषद	- अध्यक्ष
(ख) महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद	- पदेन सदस्य
(ग) परिषद में नामित 03 सदस्य (गैर सरकारी)	- सदस्य
(घ) नोडल अधिकारी, परिषद	-पदेन सदस्य सचिव

21.(2) परिषद में उपाध्यक्ष, तथा गैर सरकारी सदस्य नामित न होने की दशा में तकनीकी समिति निम्नानुसार होगी -

(क) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	- पदेन अध्यक्ष
(ख) अपर निदेशक, सूचना/कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी	- पदेन सदस्य सचिव
(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	- पदेन सदस्य
(घ) निदेशक संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	-पदेन सदस्य
(ड़) नोडल अधिकारी, परिषद	-पदेन सदस्य सचिव
(च) महानिदेशक सूचना CEO विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में फिल्म विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकते हैं।	

पदेन आमंत्रित फिल्म विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में भी उपरोक्तानुसार समिति निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।

21.(3) तकनीकी समिति की संस्तुति के उपरांत अनुदान दिये जाने के लिए वित्त समिति परीक्षण कर अपनी संस्तुति परिषद के मा. उपाध्यक्ष/मा. अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय परिषद के मा. अध्यक्ष/मा. मुख्यमंत्री जी का होगा। वित्तीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा।

(क) महानिदेशक, सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	- पदेन अध्यक्ष
(ख) निदेशक/अपर निदेशक, सूचना/कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-पदेन सदस्य सचिव
(ग) वरिष्ठ वित्त अधिकारी	- पदेन सदस्य

रानीखेत

22. विधिक परिवर्तन

22.(1) भविष्य में यथा आवश्यकता प्रदेश की फिल्म नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/शिथिलीकरण मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

22.(2) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत राज्य फिल्म विकास परिषद एवं क्षेत्रीय फिल्म विकास परिषद की सभी अधिसूचनाएं स्वत: निष्प्रभावी मानी जायेगी।

22.(3) इस नीति के लागू होने की तिथि से पूर्व, 1 वर्ष के भीतर जिन फिल्मों को परिषद द्वारा शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है, को नियमानुसार अनुदान हेतु विकल्प प्रदान किया जायेगा कि वे अनुदान पूर्व प्रचलित फिल्म नीति, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) की फिल्म नीति के अंतर्गत लेना चाहते हैं या 2024 कि नीति के अंतर्गत लेना चाहते हैं। चयनित विकल्प के अधीन लागू शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

22.(4) इस नीति के क्रियान्वयन और नीति में उल्लेखित प्रावधानों के पारस्परिक क्रियान्वयन से जुड़ी किसी विसंगति को दूर करने के लिए परिषद् द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत समय-समय पर निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

22.(5) उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2024 के हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवादों में कोई भिन्नता पाये जाने पर हिन्दी अनुवाद को ही प्रमाणिक माना जायेगा।

मसूरी

ओम पर्वत

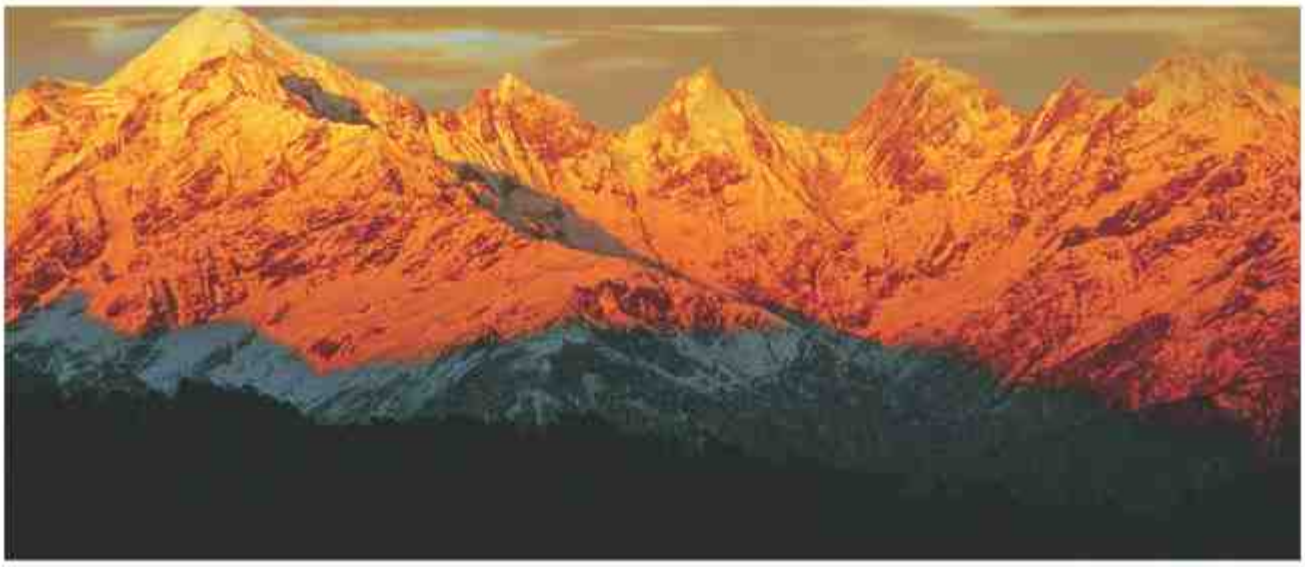

पंचाचूली

औली

The Uttarakhand Film Policy, 2024

For the film production to increase the importance establishments, development, construction of shooting place, film production and employment through exhibition, tourism and increase the regional film production, to make capital investment attractive in private sector, in suppression of existing Uttarakhand Film Policy, 2015 (as amended from time to time) the Governoris pleased to enforce the Uttarakhand Film Policy, 2024; namely

1. Short Title and Introduction

This policy may be called the 'Uttarakhand Film Policy, 2024'

2. Preamble

'Uttarakhand Film Policy-2024' will be implemented by Uttarakhand Film Development Council (UFDC) constituted under the Department of Information & Public Relations, Uttarakhand. This policy aims to attract Film Producers/Directors from within the country and abroad in the State, develop infrastructure facilities for film shooting, generate employment & strengthen film industry at local level, boost income sources of local artists, promote regional films, encourage tourism, provide grant to films, initiate film awards and prizes, give incentive to films made in regional/local language/dialects of Uttarakhand and operate/includes a "SINGLE WINDOW SYSTEM".

3. Objective

3(1) To create and promote employment in Uttarakhand through films and film industry.

3(2) To attract extra capital investment through the development in film sector in the State.

3(3) To promote Uttarakhand state as a favorable film shooting destination for production of film by providing a unique blend of new scenic locations/spots and logistical support.

3(4) To promote and encourage employment generation for the local/regional artists of Uttarakhand.

3(5) To encourage related courses for the youth of Uttarakhand to be trained for employment in the field of film production/audio/video contents.

3(6) To promote & popularize tourism, cultural and archeological heritage of the State through the film industry.

3(7) To encourage establishment of new cinema halls, multiplexes and mobile theaters in hilly areas of the State.

3(8) To encourage film industry in Uttarakhand by establishing a film and content training institute, film production studios, post production studios, and film city.

3(9) To encourage film industry in Uttarakhand by rewarding regional artists of Uttarakhand working in regional films and other language films shot in Uttarakhand.

3(10) To provide appropriate grants to Foreign, Hindi and other language films with the purpose of encouraging film shooting in Uttarakhand State.

3(11) To provide appropriate grants to encourage the production of regional films from Uttarakhand, that feature local artists and are made in local dialects/regional language of Uttarakhand.

3(12) To award scholarships to talented film students of Uttarakhand enrolled in various film courses.

3(13) To provide additional incentive to film producers for recce for shooting sites and new shooting locations recce in the State.

Naini Jheel, Nainital

FRI, Dehradun

4. Definitions

4(1) The definition of 'Films' shall be the same as defined in Cinematography Act, 1952.

4(2) 'Council' means 'Uttarakhand Film Development Council' (UFDC).

4(3) 'Government' means the 'Government of Uttarakhand'.

4(4) 'Executive Board' means 'Executive Board of Uttarakhand Film Development Council' (UFDC).

4(5) 'Post Production' means video editing, sound editing, background music, SFX, color correction, grading, DI, VFX, dubbing, mastering and final output file of film after film's shooting.

4(6) 'OTT Platform' means "a subscriber based streaming platform" where feature films, webseries and other audio, video content will stream through internet, accessible on TV, mobile phone, computer, tablet (multiple devices availability). Under this policy permissible OTT platforms will be determined by the Council from time to time. Selection of permissible OTT platforms of Uttarakhand's regional/local languages will be done by the Council from time to time.

Rishikesh

4(7) 'Web Series' means broadcast of a series of episodes through OTT platform & 'TV Serials' means broadcast of series of television shows on national broadcasting channels.

4(8) 'Cinema Hall' means a place where cinema is viewed/shown regularly.

4(9) 'Multiplex' means a place where more than one screen is available at one place and cinema show are viewed/shown regularly.

4(10) 'Mobile Theatre' means a mobile vehicle through which cinema is viewed/shown at different places.

4(11) 'Film & Audio Video Content Making Training Institute' means a place or institute where subject/content creation training related to film & television is provided.

4(12) 'Hindi & other languages' means languages listed in 8th schedule of the Constitution of India.

4(13) 'Uttarakhand's regional dialects' means the regional dialects of the State of Uttarakhand. In this film policy, applicable regional dialects will be determined by the Council from time to time.

4(14) 'Director General' means Head of Department of Information & Public Relations Department and CEO, Uttarakhand Film Development Council (UFDC).

4(15) 'Feature Film 'means a film of 70 minutes duration or more (including film credits).

4(16) 'Short Film 'means a film of maximum 30 minutes duration (including film credits).

4(17) 'Documentary Film' means an on-fiction film where the objective is to document real incidents/situations and the subjects specifically illustrates/focuses on environment, education, historical incidents or made with the specific objective of using it as an instructional medium. A documentary shall be of minimum 20 minutes duration (with credits) and a short documentary shall be of maximum 15 minutes duration (with credits).

4(18) 'Video Blog' means audio video contents broad casted/featured on social media platforms which encourage culture and tourism of Uttarakhand.

4(19) 'Content' means audio, video film, song, music, gaming, etc.

5. Infrastructure development for Film Industry

5(A) To promote the film industry in the State, the State Government will work on establish in gone or more government and/or private film cities. In this direction, suitableuse of available provisions under coherent policies of the Industrial Development Department will be used and encouraged.

5(B) The primary aim is to strengthen the film industry in Uttarakhand by establishing new cinema halls, multiplexes, mobile theaters, post-production studios, and training institutes in hilly areas of Uttarakhand. To strengthen the film industry following grants/financial assistance will be given:

Class	Financial assistance/grant	Eligibility
5(1) New cinema hall and new multiplex	(A) The purchase of equipment for a new cinema hall or a new multiplex in hilly areas will be eligible for 25% of equipment cost or up to Rs. 25 lakhs, whichever is less.	1. Selection of eligible hilly areas will be as certained by the Council based on the assessment of situations of that location/area. 2. Amount of grant/financial assistance will be permissible to the concerned individual/firm/ company/institute only once. 3. Grant will be given only on completion of new cinema hall/multiplex. 4. The allocation of grants will be determined by the Council after the assessment in accordance with the priority and utility of equipment required for the cinema hall and multiplex. 5. Bills of equipment purchased (along with GST) will have to be submitted. 6. Upon completion of the project, the grant will be given only after physical verification by the office appointed by the Council. 7. In order to qualify for the grant -90% of total expense must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI digital mediums, etc. 8. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on the Chartered Accountant's certification. Provided that, in any case the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.

Class	Financial assistance/grant	Eligibility
5(2) New Mobile Theatre	(A) The purchase of new mobile theatre vehicle in hilly areas will be eligible for 25% of equipment cost or up to Rs. 25 lakhs, whichever is less.	1. Selection of eligible of hilly areas will be ascertained by the Council based on the assessment of situations of that area. 2. Amount of grant/financial assistance will be permissible to concerned individual/firm/ company/institute only once. 3. Grant will be given only on completion of new mobile theatres. 4. For the allocation of grants, assessment of vehicle of mobile theatre, screen and other equipment will be done by the Council on predetermined standards from time to time. 5. Bills of equipment purchased (along with GST) will have to be submitted. 6. Upon completion of the project, the grant will be given only after physical verification by the officer appointed by the Council. 7. In order to qualify for the grant - 90% of total expense must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 8. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on the Chartered Accountant's certification. Provided that, in any case the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.

Hemkund Sahib

HIMSHRRI
HIMSHRRI
HIMSHRRI
HIMSHRRI
KAPHAL

Class	Financial assistance/grant	Eligibility
5(3) Grant for Post Production Studio	(A) The purchase of equipment for new post production studio will be eligible for 25% of equipment cost or up to Rs. 25lakhs, which ever is less.	1. The allocation of grants will be determined by the Council after the assessment in accordance with the priority and utility of equipment required for the post production studio. 2. Amount of grant/financial assistance will be permissible to concerned individual/firm/ company/institute only once. 3. Grant will be given only on completion of post-production studio. 4. Bills of equipment purchased (along with GST) will have to be submitted. 5. Upon completion of the project, the grant will be given only after physical verification by the Officer appointed by the Council. 6. In order to qualify for the grant – 90% of total expense must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 7. Cash transactions are strongly discouraged. It shall only be permitted in unavoidable circumstances on the Chartered Accountant's certification. Provided that, in any case the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure. 8. The grant shall be awarded annually on a first-come, first-served basis for two studios in each of the following districts: Dehradun, Haridwar, Udham Singh Nagar, and Nainital and other districts shall be eligible for one studio.

5(4) Film & Content Training Institute

In order to establish the new film and content training institute, courses in the School of Cinematic Studies and film & content creation will be implemented/encouraged at universities in Uttarakhand or universities affiliated with the State Government. The courses will be designed in accordance with a comprehensive review of courses offered by reputable national and international institutions. The course curriculum will be structured in a manner that ensures it addresses all aspects of film making and cinema production, thereby meeting the future demands of the film industry. By doing so, the caliber of the youth and local artists of Uttarakhand will undoubtedly improve. Film training institute, content creation and, film industry-related courses will be promoted with the assistance of state universities.

Class	Financial assistance/grant	Eligibility
5 (4) Grant for new Film and Content Training Institute	(A) For the establishment of studio and purchase of required equipment in the new film and content training institute will be eligible for 25% of equipment cost or up to Rs. 50 lakhs, which ever is less.	1. All the courses conducted by film and content training institute must be authorised by state accredited University to award valid diplomas, certificates, degrees. 2. In which should include different courses related to film and content creation like film direction, story screen play, dialogue writing, film producing, film production, acting, make up, cinematography, sound recording & sound engineering, post production (audio/video editing, animation, VFX, grading, DI, dubbing, music recording) and all other technical equipment courses in this regard. 3. It is necessary for the Institute to run at least for 3 years after getting the grant. An affidavit in this effect will have to be provided to the Council. 4. This grant is subjected to assessment of equipment purchased on the basis of its priority and usefulness, which will be done by the Council. 5. Upon completion of the new Institute, the grant will be given only after physical verification by the officer appointed by the Council. 6. In order to qualify for the grant - 90% of total expense must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 7. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.

6. Grant to Films

The Government of Uttarakhand shall allocate grants and subsidies to promote film shooting in Uttarakhand, in an effort to facilitate employment generation in the state, promote local and regional films & artists, and generate revenue (taxes) for the state government, in accordance with the following guidelines.

Class	Film Grant	Eligibility
6(1) Regional Languages dialects of Uttarakhand	(A) During film shooting in Uttarakhand, 50% of the expenditure incurred in the State or up to Rs 2 crore, whichever is less, may be granted. (B) For children films, an additional grant of 10% will be given in addition to the sanctioned amount of subsidy. (C) The maximum sanctioned amount of the grant will be accessed based on the quality and technical aspects of the film.	1. 75% of the film's shooting is to be in Uttarakhand, and the film must allocate 75% of its screen time to content that was shot in Uttarakhand. 2. The minimum resolution for filming should be in 4K, and the sound quality should be Dolby Digital or higher. 3. Certificate from Central Board of Film Certification (Censor Board) is required. 4. Shooting Permission letter issued by the Council. 5. A statement of expenditure incurred in the State during the shooting period must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 6. The film should be shown/premiered in minimum 5 cinema screens is must (excluding OTT broadcasts). A certificate is required to be submitted for this regard. 7. The grant will be provided to the film producer or their duly authorized representative (individual/institution). 8. Eligible for the grant are films that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council; the producer/company in question must affix a copy of the agreement that was executed with the OTT platform.

Class	Film Grant	Eligibility
		9. It is required that every filming location within the State where the film was shot be included in the credits roll. 10. For grant eligibility, only film production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/funding for film marketing, promotion, and release will not be eligible for grant. 11. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 12. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.
6(2) Films in Hindi and the languages listed in 8th Schedule of the Constitution of India	(A) During film shooting in Uttarakhand, 30% of the expenditure incurred in the State or up to Rs. 3 crores, which ever is less, may be granted. (B) For children films, an additional grant of 10% will be given in addition to the sanctioned amount of subsidy. (C) The maximum sanctioned amount of the grant will be assessed based on the quality and technical aspects of the film. (D) An additional 5% of the sanctioned grant will be awarded to filmproducers who shot the film for a minimum of seven days in	1. 1. 75% of shooting of film's shooting is to occur in Uttarakhand state and the film must allocate 75% of its screen time to content that was shot in Uttarakhand state. 2. 2. The minimum resolution for filming should be in 4K, and the sound quality should be Dolby Digital or higher. 3. 3. Certificate from Central Board of Film Certification (Censor Board) is required. 4. 4. Shooting Permission letter issued by the Council. 5. 5. A statement of expenditure incurred in the State during the shooting period must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 6. 6. The film should be shown/premiered in minimum 50 cinema screens is must for 1 weeks' time (excluding OTT broadcasts).

Class	Film Grant	Eligibility
	new shooting locations in the hilly areas of the State, as per determined T&C by the Council. (E) New shooting locations will be selected/finalized by the Council in consultation with the Department of tourism in Uttarakhand. (F) An additional 5% of the sanctioned grant will be awarded, on using the authentic/real names of Uttarakhand locations in the film. (G) In one or more of the five actors/actresses in an Indian film in Hindi or another language are casted as main role then up to Rs 10 lakhs or their actual remuneration, whichever is less, will be paid to that actor/actress. Council's determination regarding eligibility and applicability will be final during this procedure. (H) There are five main categories in production of Indian films in Hindi and other languages i. Cinematography ii. Art Direction iii. Sound Direction/ Engineering iv. Music Direction v. Editing	A certificate is required to be submitted for this regard. 7. The grant will be provided to the film producer or their duly authorized representative (individual/institution). 8. Eligible for the grant are films that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council; the producer/company in question must affix a copy of the agreement that was executed with the OTT platform. 9. Artists and technicians who are residents of Uttarakhand are required to provide proof/certificate of domicile. 10. It is required that every filming location within the State where the film was shot be included in the credits roll. 11. For grant eligibility, only film production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/funding for film marketing, promotion, and release will not be eligible for grant. 12. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 13 Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.

Class	Film Grant	Eligibility
	In order to be eligible for the provision of additional grant, technicians are required to have their domicile in Uttarakhand. In such case, the combined actual payment to a maximum of 5 eligible technicians or up to Rs. 10 lakhs, whichever is less, will be granted. Decision of the Council on the eligibility and entitlement will be final.	
6(3) Films shot in Uttarakhand with a budget of minimum Rs. 50 crores or more	(A). A film that has been shot in Uttarakhand and has a budget of minimum Rs. 50 crores or more, with a minimum expenditure of Rs. 3 crores in the State, provided the locations where the shooting took place are appropriately showcased, will be eligible to receive a grant equal to 30% of the expenditure, or up to Rs. 3 crores, whichever is less. (B) The maximum sanctioned amount of the grant will be accessed based on the quality and technical aspects of the film.	1. The minimum resolution for filming should be in 4K, and the sound quality should be Dolby Digital or higher. 2. Certificate from Central Board of Film Certification (Censor Board) is required. 3. Shooting Permission letter issued by the Council. 4. Permission letter from Government of India for shooting of foreign films is required. 5. A statement of expenditure incurred in the State during the shooting period must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 6. The film should be shown/premiered in minimum 50 cinema screens is must for 1 weeks' time (excluding OTT broadcasts). A certificate which can be recognized/ accepted by the Council in this regard is required to be submitted. 7. The grant will be provided to the film producer or their duly authorized representative (individual/institution).

Class	Film Grant	Eligibility
		8. Eligible for the grant are films that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council; the producer/company in question must affix a copy of the agreement that was executed with the OTT platform. 9. It is required that every filming location within the State where the film was shot be included in the credits roll. 10. For grant eligibility, only film production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/funding for film marketing, promotion, and release will not be eligible for grant. 11. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 12. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.
6(4) Foreign language films	(A) A foreign language film shotin Uttarakhand, whichhas incurred a minimum expenditure of more than ₹ 3 crore in the State, accurately portraying the shooting locations in the State, will be eligible for 50 percent of the expenditure incurred in the State or up to ₹ 3 crores, whichever is less.	1. A letter of authorization/permission from the Government of India is required for film shooting. 2. Shooting Permission letter issued by the Council. 3. A statement of expenditure incurred in the State during the shooting period must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 4. 4. The minimum resolution for filming should be in 4K, and the sound quality should be Dolby Digital or higher.

Class	Film Grant	Eligibility
	(B) The maximum sanctioned amount of the grant will be assessed based on the quality and technical aspects of the film. (C) An additional 5% of the sanctioned grant will be awarded, on using the authentic/real names of Uttarakhand locations in the film.	5. 5. Films eligible for the grant are solely those films, that have been exhibited in more than 50 cinema screens in their home country and/or in other countries, in addition to having been streamed on relevant over-the-top (OTT) platforms within their region. Accordingly, the amount of the grant will be determined. 6. Grant is subject to standards fixed by the Council from time to time regarding release of foreign films. 7. Eligible for the grant are films that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council. 8. The grant will be provided to the film producer or their duly authorized representative individual/institution. 9. It is required that every filming location within the State where the film was shot be included in the credits roll. 10. For grant eligibility, only film production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/funding for film marketing, promotion, and release will not be eligible for grant. 11. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 12. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.

Class	Film Grant	Eligibility
6(5) Grant to TV serials/ Web series making of Hindi and other languages listed in schedule 8 the Constitution of India, and regional languages/dialects of Uttarakhand is permissible	(A) During shooting of TV serials/web series in Uttarakhand, 30% of the expenditure incurred in the State or up to Rs.3 crores, whichever is less, may be granted. (B) For children TV Serials/ Web series, an additional grant of 10% will be given in addition to the sanctioned amount of subsidy. (C) The maximum sanctioned amount of the grant will be assessed based on the quality and technical aspects of the film. (D) If one or more of the five actors/actresses in an Indian film in Hindi or another language are casted as main role, then ₹ 10 lakhs or their actual remuneration, whichever is less, will be paid to that actor or actress. Council's decision regarding eligibility and applicability will be final during this procedure. (E) Five main categories in the production of TV Serials/ Webseries i. Cinematography ii. Art direction iii. Sound Direction/Engineering	1. A minimum of 5 episodes, each having a duration of minimum 30 minutes, are required for the web series. 2. A minimum 20 episodes, each having a duration of minimum 22 minutes, are required for the TV serials. 3. 75% of and Web series is to be shot in Uttarakhand, and it must allocate 75% screen time to content that was shot in Uttarakhand. 4. Permission letter issued by the Council. 5. Letter of authorization from the relevant platform or channel authorizing broadcasting of TV serials and/or Web series. 6. The minimum resolution for filming TV Serials/Web series should be in 4K, and the sound quality should be Dolby Digital or higher. 7. Eligible for grants are those Web Series that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council. 8. It is required that TV serial episodes must be broadcasted on channels that are accessible through a minimum of three national DTH systems. The grant application will be applicable only after the broadcasting of 50% of the episodes. 9. A statement of expenditures incurred in the State during the shooting period of TV serials/Web series must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 10. It is required that every filming location within the State where the TV serials/Web series was shot be included in the credits roll.

Class	Film Grant	Eligibility
	iv. Music direction. v. Editing In order to be eligible for the provision of additional grant, technicians are required to have their domicile in Uttarakhand In such case, the combined actual payment to a maximum of 5 eligible technicians or up to Rs 10 lakhs, whichever is less, will be granted .Decision of the Council on the eligibility and entitlement will be final. (F) An additional 5% of the sanctioned grant will be awarded to film producers who shot the TV serials/ Web series for a minimum of 7 days in new shooting locations in the hilly areas of the State, as determined by the Council. The new shooting locations will be selected/ finalized by the Council in consultation with the Department of Tourism in Uttarakhand. (G) An additional 5% of the sanctioned grant will be awarded, on using the authentic/real names of Uttarakhand locations in the film.	11. Artists and technicians who are residents of Uttarakhand are required to provide certificate of domicile. 12. For grant eligibility, only TV serials/Web series production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/ funding for TV serials/Web series marketing, promotion, and release will not be eligible for grant. 13. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 14. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10%of the total expenditure. 15. The grant will be provided to the film producer or their duly authorized representative or institution.

Class	Film Grant	Eligibility
6(6) Grantfor Documentary	(A) During shooting of documentary in Uttarakhand, 30% of the expenditure incurred in the State or up to Rs.15 lakhs, whichever is less, may be granted. (B) If an international level documentary is made in India and 50% of the shooting or 50% screen time of the total film is of locations where it was shot in Uttarakhand, then 50% of the expenses incurred in the State or up to Rs. 15 lakhs, whichever is less, will be granted. (C) The maximum sanctioned amount of the grant will be assessed based on the quality and technical aspects of the film.	1. 75% of the total length of documentary should necessarily be shot in Uttarakhand state and its 75% screen time should be of Uttarakhand. 2. Documentary shooting should be in 4K resolution or higher & sound quality should be of Dolby Digital or higher. 3. Certificate from Central Board of Film Certification (Censor Board) is required. 4. Certificate agreement from the broadcasting platform or festival is an essential requirement. 5. Shooting permission letter issued from the Council. 6. A statement of expenditures incurred in the State during the shooting period of documentary must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 7. The documentary film must have been awarded at any national or international level by prestigious institutions, film festivals, Council approved institution or platforms. Proof of which will be mandatory to be provided, or any such record as the council deems appropriate. 8. The grant will be provided to the film producer or their duly authorized individual or institution. 9. Eligible for a grant are documentaries that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council; the producer/company in question must affix a copy of the agreement that was executed with the OTT platform. 10. It is required that every filming location within the State where the documentary was shot be included in the credits roll.

Class	Film Grant	Eligibility
		11. Forgrant eligibility, only documentary production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/funding for documentary marketing, promotion and release will not be eligible for grant funding. 12. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 13. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10%of the total expenditure.
6(7) Grant for Short Films	(A) Short Films (Hindi, other Indian languages and Uttarakhand regional dialects) are eligible for a grant of 50% of the expenditure incurred in the State or up to Rs. 5 lakhs, whichever is less. (B) The maximum sanctioned amount of the grant will be accessed based on the quality and technical aspects of the film.	1. 1.00% of the short film must be filmed in Uttarakhand. 2. The minimum resolution for filming the short film should be in 4K, and the sound quality should be Dolby Digital or higher. 3. Certificate from Central Board of Film Certification (Censor Board) is required. 4. Permission letter issued from the Council. 5. A statement of expenditures incurred in the State during the shooting period of short film must be accompanied by invoice/bills and a certificate from a chartered accountant. 6. The short film must have been awarded at any national or international level by prestigious institutions, film festivals, Council approved institution or platforms. Proof of which will be mandatory to be provided, or any such record as the council deems appropriate. 7. The grant will be provided to the producer of short film or their duly authorized representative or institution.

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
		8. It is required that every filming location within the State where the short film was shot be included in the credits roll. 9. Eligible for a grant are short films that are broadcasted on an over-the-top (OTT) platform approved by the Council; the producer/company in question must affix a copy of the agreement that was executed with the OTT platform. 10. For grant eligibility, only short film production expenses incurred within the State are eligible. Expenses/funding for documentary marketing, promotion and release will not be eligible for grant funding. 11. In order to qualify for the grant - 90% of total expense of film must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. 12. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10% of the total expenditure.

Har Ki Pauri, Haridwar

7. Uttarakhand Film Award

Film Festivals will be organized regularly by the Council. This Film festival may be organized with some reputed organization. During the Film festival, the State will bestow an award in the name of a individual who has made an exceptional contribution to the field of film. The best Hindi and other language films, as well as regional dialect films that were shot in Uttarakhand and the individuals responsible for their production, individuals involved in the marketing of film industry in Uttarakhand through press/media, as well as the Line Producers who have produced the greatest number of films in the State annually, will receive Annual Film Awards. The film awards will consider documentaries and films released in Hindi, as well as those produced in other languages and regional dialects of Uttarakhand, between January 1st to December 31st. The committee established under the Council will be responsible for award selection.

7.(1) Brand Ambassador

To encourage film culture and the film industry in the State and to boost/uplift image of State, the Council can nominate/selecta person of repute from the Indian Film Industry or any other nationally/international lyac claimed celebrity as Brand Ambassador. The chairman of the Council, as per his discretion, can allow honorarium and other facilities to such Brand Ambassador from the Council budget/funds.

7.(2) Based on the requirement to promote the State's policies, tourism destinations, and other important communications, the committee constituted by the Council can produce films after receiving requests and proposals from reputable producers and film production houses, at commercial rates.

The Proposal will be examined by the following committee:

1. CEO, Film Development Council
2. Additional Director/Additional Chief Executive Officer
3. Film Industry Expert nominated by CEO
4. Senior Financial Advisor
5. Nodal Officer

Approval of the aforementioned proposal with financial approval will be granted by the Chairman, Film Development Council (Hon. Chief Minister).

7.(3) Chairman "Film Development Council" (Hon. Chief Minister) can approve the remuneration of the celebrity cine artist as an actor for the advertising films for the Department of Information & Public Relations, whose payments will be cleared by the Council.

7.(4) Award for Hindi & other language film

S.No.	Class of Award	Award Amount (Rs.)
1.	Best Film	2,00,000
2.	Best Director	1,50,000
3.	Best Actor	1,00,000
4.	Best Actress	1,00,000
5.	Best Screenplay writer	1,00,000
6.	Best Singer	1,00,000
7.	Best Supporting Actor (Male)	1,00,000
8.	Best Supporting Actor (Female)	1,00,000
9.	Best Cinematographer	1,00,000

7.(5) Award for Regional Dialect film

S.No.	Class of Award	Award Amount (Rs.)
1.	Best Film	2,00,000
2.	Best Director	1,50,000
3.	Best Actor	1,00,000
4.	Best Actress	1,00,000
5.	Best Screen play writer	1,00,000
6.	Best Singer	1,00,000
7.	Best Supporting Actor (Male)	1,00,000
8.	Best Supporting Actor (Female)	1,00,000
9.	Best Cinematographer	1,00,000
10.	Best Album Singer	1,00,000

7.(6) Other Awards

S.No.	Class of Award	Award Amount (Rs.)
1.	Life Time Achievement Film Award (for extraordinary work in film industry)	2,00,000
2.	Best Line Producer (who is registered with the Council)	1,00,000
3.	Best Documentary Producer (which documentary has been awarded by any national/international level institution/s)	1,00,000
4.	Best Short Film Award (3 best short films shot in the State which have been awarded by any national/international level institution/s)	First - 1,50,000 Second - 1,00,000 Third -50,000
5.	Best Vlog, Travelog Producer (Most viewed video showing excellent location/ destinations and cultural values of the State on YouTube/Facebook/Instagram or equivalent platforms)	1,00,000
6.	Best Music Video Award (The 3 videos that have received the most views on platforms or organizations authorized by the Council, such as YouTube/Facebook/Instagram or equivalents, and showcase appealing destination spots and cultural values of the State)	First - 1,00,000 Second - 75,000 Third -50,000

7.(7) In addition to the aforementioned awards, the Chairman of the Council shall periodically establish additional awards, with a maximum cap of Rs. 10 lakhs.

7.(8) Films awarded by national or international institutions will be honored by the Council with a maximum award of Rs. 30 lakhs. The amount of such an award shall be ascertained after obtaining the prior approval of the CEO of the Council.

8. Committee for selection of Uttarakhand Film Award will consist of

a. Vice Chairman of Council- Chairperson

b. Director General / CEO of Council-Ex officio member

c. 3 members nominated in Film Development Board (Non-Government)- Member

d. In case the Council does not have a nominated Vice Chairman and ex-officio members, the Selection Committee will be constituted under the Chairmanship of Director General and 3 members related to film industry will be included in the Committee. Nomination of such members will be done with prior approval of the Hon. Chief Minister.

9. Support for the release of Regional Dialect Films of Uttarakhand

9(1) All the cinema halls/ multiplexes in the State will have to show Uttarakhand regional dialect films that have been approved by the Censor Board, for a minimum one show per day for a duration of one week, according to the business T&C.If viewership in the first week exceeds 75%, the duration of the show may be extended by an additional week.

9(2) State-established corporations, municipalities, departmental or Nagar Panchayat auditoriums etc. may be utilized by producers of regional dialect films on the condition that 10% of total ticket sales be paid to the relevant department.

9(3) The film producer of regional dialect films shall receive only one time reimbursement equivalent to 20% of the dee, or Rs. Up to 5 lakhs, whichever is less, in exchange for a single broadcast on Door Darshan Uttarakhand or any other channel.

Chakrata

10. Financial support for Film Festivals and Film Societies

10(1) For participation by the council in any state, national or international level film festival or any such platforms / program that will help promote films in Uttarakhand, financial assistance in the form of sponsorship amount can be given and required financial assistance can be given for screening of Uttarakhand state based film/documentary or short film on international platforms.

10(2) In an effort to strengthen film societies and culture in the State, the Council will support registered film societies, time to time. Physical verification by a Council-designated officer is required for all film society sponsored programme. Maximum amount of up to Rs. 5 lakhs per annum can be provided for the operations of such film societies. After receiving the CEO of the Council's approval, the final disbursement of the grant, which is subject to the maximum grant amount, will be determined in accordance with the film society's activities.

11. Residential facility for film shooting

Film units shall receive a 50% discount on accommodations at Garhwal Mandal Vikas Nigam, Kumaon Mandal Vikas Nigam, State government guest houses and hotels empaneled under Information department of Uttarakhand and the reimbursement of this discounted amount shall be issued directly by the Council to the respective guest houses/hotels.

12. Scholarship

Students domiciled in Uttarakhand state who take admission to the Film & Television Institute, Pune, Maharashtra and Satyajit Ray Film & Television Institute, Kolkata, or any other prestigious institution (as determined by the Council) and produce a certificate upon course completion will be eligible to receive a 50% scholarship for general category candidates, while SC/ST/OBC category candidates will be awarded a 75% scholarship. Every year, exclusively on the basis of merit, scholarship will be offered to the first 5 students only.

13. To make films tax free

A film may be exempt from taxation at the discretion of the Honorable Chief Minister, Chairman Film Development Corporation. In accordance with the Commissioner Tax's recommendation, the reimbursement of SGST for tax-exempt films will be carried out directly by the Council to the cinema hall/theatre.

14. Grant for Recce to Film Producers

14(1) To encourage film makers to shoot more in the State, the Council will grant subsidies for the location Recce. The Council will allow 50% rebate on residential facilities in Garhwal Mandal Vikas Nigam, Kumaon Mandal Vikas Nigam, State guest houses and hotels empaneled under the Information department of Uttarakhand. Reimbursement of such rebate will be given directly to film producers. A subsidy of 30%or up to Rs.5 lakhs, whichever is less, on amount spent on recce of shooting locations will be granted. Selection of such new shooting destinations will be done by the Council in consultation with Tourism Department of Uttarakhand. Film producers interested for this grant will have to obtain permission from the Council before recce.

14(2) In order to qualigy for the grant for recce, 90% of total expense must be paid through bank, cheque, online medium, internet banking, UPI, digital mediums, etc. Cash transactions are strongly discouraged. It will only be permitted in unavoidable circumstances on Chartered Accountant's certification. Provided that, in any the total cash expenditure shall not be allowed more than 10%of the total expenditure.

14(3) Prestigious travelogers/vloggers will be invited to create videos films/travelogs/videos etc., to spread awareness and to publicize shooting locations in the State. The travelogers, vloggers to be invited for the above purpose should have a minimum of 1 lakh followers/subscribers on their social media platforms. In this regard, the Council can define/fix other standards from time to time. Council will reimburse 100% amount spent while shooting by invited travelogers and vloggers on accommodation/residential facilities (maximum - 5 days) in Garhwal Mandal Vikas Nigam, Kumaon Mandal Vikas Nigam, State guest houses and hotels empaneled under Information department of Uttarakhand. Payment will be made to them on completion of the project. (For claiming this accommodation/residential grant, payment proofs by bank, cheque, online, internet banking, UPI etc. are necessary).

15. Single window System for Film Shooting

To encourage shooting of films in Uttarakhand and to facilitate the process of obtaining permissions for producers and directors, a streamlined Single Window System has been devised to operate as follows:

15(1) Online applications will be accepted through single window system for shooting in different locations of Uttarakhand. In this system all departments will submit their consent/recommendation with in one week to the Council, and Council will give its online approval for shooting within a maximum time limit of two weeks.

15(2) Permission letter for film shooting will be issued online by the nodal officer of the Council. The said permission letter will be valid for shooting in all public locations of the State.

15(3) State Government will not charge any fee for shooting of films in the State. No other department of the State will charge any fee for the shooting of the films.

15(4) Charges fixed earlier by Forest department for shooting of films in the State will stand completely abolished except Rajaji National Park & Corbett National Park where shooting charges will have to be paid on prescribed rates.

15(5) If any parking feeisal ready fixed for any shooting location then the same will have to be paid by the film producer to the concerned authority.

15(6) On the request of film producers, the Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police in-charge shall station a minimum of 5 officers at the shooting location without charge for the duration of the shooting. If in excess of five police officers are needed, they will be provided at the rates specified.

15(7) The Forest Department will designate a proficient nodal officer to oversee the filing location and report back to the CEO/Nodal Officer of the Council within a week with their approval or disapproval of film shooting permission in accordance with a single window system.

15(8) Director General, Information/Chief Executive Officer/Nodal Officer, State Film Development Council will be authorized to issue proper restrictions/conditions/warnings while is suing the permission letter. Within 2 weeks of receiving application for shooting from the film producers, permission/rejection will be given/conveyed to the concerned film producers.

15(9) Director General Information/Chief Executive Officer/Nodal officer of Council, at the time of giving approval, will inform concerned District Magistrate & Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police/SHO who will ensure law and order/security related issues.

16. Shooting Location Film Directory

For the convenience of film directors–producers coming to Uttarakhand a Film Directory will be prepared. This directory will compile details of film producers, directors, actors, actress, musicians, choreographers, song writers, writers, camera men, photographers, technicians, spot boys, film production houses, studio owners of the State, and the directory will also contain shooting locations/destinations of Uttarakhand.

17. Registration of Line Producers

Line Producers will be registered in order to facilitate coordination with film producers and directors interested in filming in Uttarakhand. Priority will be given to Line Producers who are registered with the Council for filming in Uttarakhand. Council will issue appropriate guidelines in this regard from time to time.

17(1) A valid document attesting to the line producer experience in Uttarakhand for a minimum of 3 years is required.

17 (2) Firm of line producer should be registered in Uttarakhand. From one registered firm 3 Line Producers will be registered in the Council.

17(3) Standards for registration of Line Producers will be fixed by the Council from time to time.

17(4) Council will issue identity cards to the Line Producers registered with the Council.

17 (5) In the event of an untimely demise of a line producer, his dependents shall be granted a relief amount of Rs. 2 lakhs.

17 (6) If verified by the department, a shooting-related complaint against a line producer will lead to a debarment or blacklisting for period of five years.

Devprayag

18. Uttarakhand Film Development Council (UFDC)

In order to oversee the implementation of the the film policy within the State and ensure compliance with its provisions, theUttarakhandFilmDevelopmentCouncil willbeestablished. It will be known as the "Uttarakhand Film Development Council (UFDC)" and will be tasked with formulating policies and conducting consultations pertaining to the development of the film sector in the State. The Council will consist of no more than fifteen members. The structure of Uttarakhand Film Development Board (UFDC) will be organized as follows:

1	**Honorable Chief Minister**	**Ex officio Chairman**	**01**
2	Expert from Regional dialect or Hindi language/film/art/culture	Ex-Officio Vice Chairman	01
3	Filmmaker/songwriters/musicians/directors/ producers, and subject matter specialists in the film with Hindi films and regional dialect films from the State of Uttarakhand	Ex-Officio Member	03
4	Chief Secretary, Uttarakhand Government	Ex-Officio Member	01
5	Director General Police, Uttarakhand	Ex-Officio Member	01
6	Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department, Uttarakhand	Ex-Officio Member	01
7	Principal Secretary/Secretary, Information Department, Uttarakhand Government	Ex-Officio Member	01
8	Chief Executive Office, Uttarakhand Tourism Development Board	Ex-Officio Member	01
9	Commissioner State Tax	Ex-Officio Member	01
10	Director General/Chief Executive Officer, Uttarakhand Film Development Board(UFDC)/ Information	Ex-Officio Member Secretary	01
11	Director, Culture	Ex-Officio Member	01
12	Director/AdditionalDirector, Information	Member	01
13	Nodal Officer, Uttarakhand Film Development Board (UFDC)/ Information & Public Relations Department, Uttarakhand	Ex-Officio Coordinator	01

18 (1) Honorable Chief Minister/Information Minister will have the power to nominate Vice Chairman and Ex-Officio Members. Tenure of Council's Vice Chairman and Ex-Officio Members will be 3 years from the date of their taking charge. Film Development Council will be a permanent organization and its quorum will be deemed complete with Chairman and1/3rd members.

18 (2) Vice Chairman of the Council will be eligible for honorarium and other perks fixed by the Government.

18 (3) Ex-Officio Members attending Council meetings will been titled for honorarium for the meeting day, daily allowance, travelling allowance as approved/fixed by the Council which will be of level 15(G-P 10,000) or equivalent.

18 (4) The Chairman(Honorable Chief Minister) may terminate the services of Vice Chairman and Ex-Officio Members without providing prior information for the decision.

19. Executive Board of the Council work as under

19(1). Chief Executive Officer	Ex-officio Director General, Information & Public Relations Department, Uttarakhand
19(2). Executive Officer/Additional Chief Executive Officer	Ex-officio Director/ Additional Director, Information
19(3). Secretary, Executive Board	Ex-officio, Nodal Officer
19(4). Financial Advisor	Ex-OfficioFinanceOfficer/Sr. Finance Officer, Information & Public Relations Department, Uttarakhand

19 (1) Executive Board will be liable/responsible for the work of the Council.

19 (2) The Chief Executive Officer will work as Head of Department of the Council and will undertake responsibilities per training to administration, finance, and management.

19 (3) For execution of Council work, a nodal officer will be nominated from Grade 1 level departmental officer. (Deputy Director, Deputy Chief Executive Officer, Joint Director, Joint Chief Executive Officer posts will be eligible for above. There will be no additional compensation or benefits provided).

20. Delegation of financial powers in Council

20(1) Each fiscal year, all Council expenditures, including film grants, shall be covered by the Information Department's and council annual relevant budget.

20(2). Grant related matters will be settled only after approval of Hon. Chief Minister/ Chairman on the recommendation of the technical and final matters committee.

20(3). The Director General/Chief Executive Officer shall have the authority to approve and disburse funds not exceeding Rs.50 lakhs for all matters other than grants, unless otherwise specified. Any disbursement or withdrawal in excess of Rs. 50 lakhs will require the prior approval of the Honorable Chief Minister or Chairman.

20(4) To perform the functions of the Council, outsourced appointments can be made by constituting a PMU by the Council.

21. Constitution of Committee for Grant

21 (1) Technical examination of the proposals for grant will be done by a technical committee whose constitution will be as follows:

(a)	Vice Chairman of the Council	- Chairperson
(b)	Director General/Chief Executive Officer of the Council	- Ex-Officio Member
(c)	Council nominated 3 members (ex-officio)	- Member
(d)	Nodal Officer of Council	- Ex-Officio Secretary

21(2) In the event that Vice-Chairman & Ex-officio members of the Council fail to be nominated, the following will comprise the Technical Committee:

(a)	Director General Information/Chief Executive Officer	- Ex-Officio Chairperson
(b)	Additional Director General, Information/ Executive Officer/Additional Chief Executive Officer	- Ex-Officio Member Secretary
(c)	Chief Executive Officer, Tourism or his nominee	- Ex-Officio Member
(d)	Director, Culture or his nominee	- Ex-Officio Member
(e)	Nodal Officer of Council	- Ex-Officio Member Secretary
(f)	Director General Information/CEO can invite film experts as Special Invitee members. In absence of these special invitee, theafore mentioned committee will be empowered to take decisions.	

21 (3) Once the technical committee has given its approval, the finance committee will the grant application and provide its recommendations to the Honorable Vice Chairman/ Honorable Chairman. The final decision will be granted by the Honorable Chairman/Honorable Chief Minister.

Constitution of the financial committee will be as follows:

(a)	Director General Information/Chief Executive Officer	- Ex-Officio Chairperson
(b)	Director/Additional Director, Information Executive	- Ex-Officio Member
	Officer/Additional Chief Officer	Secretary
(c)	Senior Finance Officer	- Ex-Officio Member

22. Legal Changes

22(1) Subsequent modifications or relaxations to this film policy may be enforced with the Honorable Chief Minister's approval.

22(2) All notifications issued by the Uttarakhand Government concerning the State Film Development Council and Regional Film Development Council prior to this notification will be automatically deemed canceled.

22(3) To obtain grants, films authorized to film within one year from the date of commencement of this policy will be able to select between the film policy that was in effect previously in 2015 (as amended in 2019) or the film policy that will be in effect in 2024. Strict adherence to the terms and conditions of the selected option will be required.

22(4) In order to remove any discrepancy related to the implementation of this policy and the mutual implementation of the provisions mentioned in the policy, the Council can issue instructions from time to time with the approval of the Honorable Chief Minister.

22(5) If any difference is found between the Hindi and English translation of Uttarakhand Film Policy, 2024, only the Hindi translation shall be considered authentic.

Mussoorie

Om Parwat

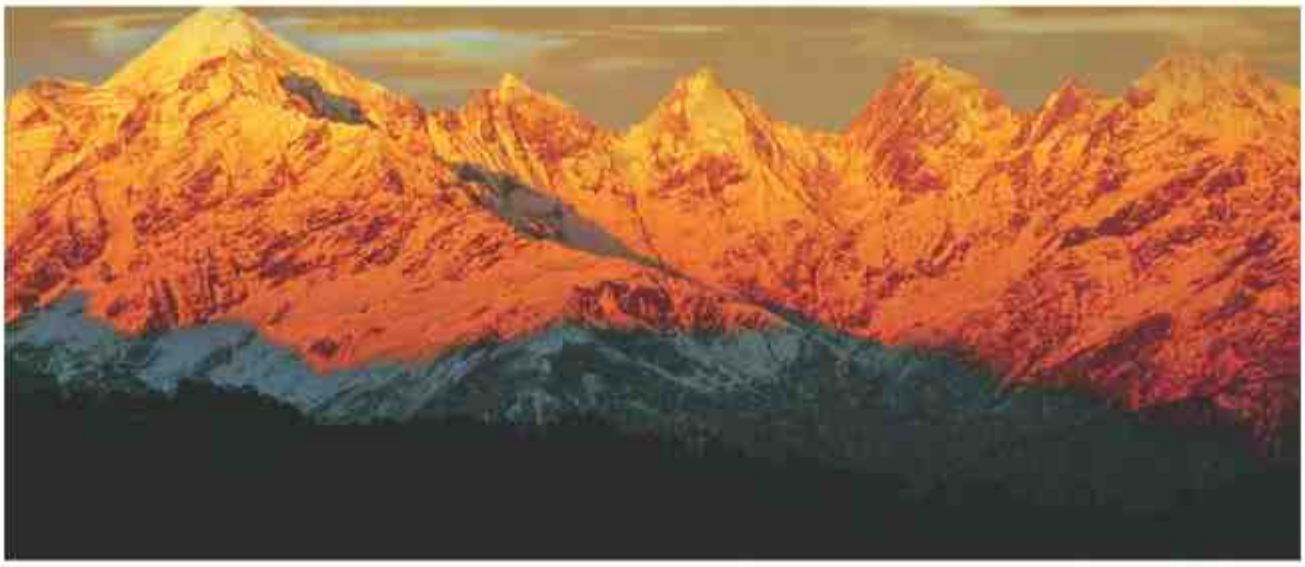

Panchachuli

Auli

NOTES

NOTES

रानीखेत

चकराता

देवप्रयाग

उत्तराखण्ड राज्य में फिल्मों की शूटिंग हेतु सिंगल विंडो की अनुमति।

राज्य में फिल्मों की शूटिंग हेतु नि:शुल्क सुविधा।

शूटिंग अनुमति के लिए संपर्क करें:

https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting

or

http://uttarainformation.gov.in

राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कार

65वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2017
(मोस्ट फिल्म फ्रेंडली
स्टेट स्पेशल मेंशन)

66वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2018
(मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट)

राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार
(मोस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली
स्टेट 2017-2018)

66वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2022
(मोस्ट फिल्म फ्रेंडली
स्टेट स्पेशल मेंशन)

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद

सूचना भवन (सूचना एवं लोक संपर्क विभाग)

लाडपुर, रिंग रोड, निकट किसान भवन, देहरादून, उत्तराखण्ड

फोन: 0135-2662971, 2662369, 2662334

ई-मेल: ufdc2015@gmail.com, वेबसाइट: www.uttarainformation.gov.in

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://uttarainformation.gov.in/images/download/Uttarakhand/Film/Policy2024